प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुर्दशन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रथम अपील संख्याः— 05/2018

बउनवान

श्री नेमीचन्द यादव निवासी 6/9 गणेश नगर कोटा (राज.)

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल जिला बारां (राज.)

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा, 19 (1)

निर्णय दिनांक 12.11.2018

अपीलार्थी द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड डाक प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, मांगरोल के पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से दिनांक 13.8.2018 को प्रार्थना पत्र के माध्यम से 1 ता 6 बिन्दुओ की सूचना निम्नानुसार चाही गई थी कि :—

1— सीसवाली—मॉगरोल रोड पर खसरा नम्बर 3354 चक भूमि है, जो कि भू—पट्टी 1465 का भाग है। श्री राजेन्द्र कुमार, अमित ने मॉगरोल कोर्ट मे 1991 से जुर्माना देना बताया था। कितना जुर्माना तहसील मॉगरोल मे जमा करवाया। तहसील रिकार्ड के अनुसार बतावे।

2— श्री राजेन्द्र कुमार, अमित और विजय ने खसरा नम्बर 3354 पर अतिक्रमण कर कब्जा किया, तो तहसील मॉगरोल ने इनके खिलाफ कार्यवाही की या नही बतावे।

3— श्री राजेन्द्र कुमार और इसके वारिसान ने अतिक्रमण की हुई भूमि खसरा नम्बर 3354 के हिस्से को अपना बताकर बेच दिया यह थाना सीसवाली के अनुसंधान अधिकारी की जॉच रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है। सरकारी जमीन बेचने पर तहसील स्तर पर की गई कार्यवाही की जानकारी देवे।

4— श्री राजेन्द्र कुमार और इसके वारिसान ने अतिक्रमण की हुई भूमि खसरा नम्बर 3354 जो 0.18 हेक्टयर थी। इसमे से अब तक कितनी भूमि बेचान की गई बतावे।

5— उप तहसील सीसवाली विधिवत रूप से कब चालू हुई।

6— लोक सूचना अधिकारी अपना पूरा नाम हिन्दी मे बतावे साथ ही अपीलीय अधिकारी का पद और कार्यालय का पता बतावे।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा स्वंय कोई सूचना नही देकर हल्का पटवारी सीसवाली की रिपोर्ट संलग्न कर भिजवा दी गई। जबकि बिन्दु संख्या 5 के अनुसार उप तहसील का विधिवत कार्य करना 2014 से बताया है। जबकि 1 से 4 बिन्दुओं तक की चाही गई जानकारी वर्ष 2014 के पहले की है। पहले सारा कार्य तहसील मॉगरोल से संचालित होता था। सरकारी चक भूमि पर अतिक्रमण हटाने का कार्य भी हल्का पटवारी को साथ लेकर, तहसीलदार मॉगरोल द्वारा ही किया जाता था। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार मॉगरोल को 1 से 4 बिन्दुओ की जानकारी देना चाहिये था। वह नही दी। बिन्दु संख्या 5 की जानकारी भी हल्का पटवारी सीसवाली के द्वारा ही दी गई। बिन्दु संख्या 6 की मॉगी गई जानकारी भी नही दी गई। हल्का पटवारी सीसवाली द्वारा भी मॉगी गई जानकारी गलत दी गई। अतः प्रथम अपील प्रस्तुत कर, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार मॉगरोल से 6 बिन्दुओ की सूचना दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रथम अपील को दिनांक 12.10.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल को जर्ये सम्मन क्रमांक 937–938 दिनांक 15.10.2018 से तलब कर, प्रस्तुत अपील पर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जर्ये सम्मन क्रमांक 937–938 दि. 15.10.2018 से तलब किया गया।

अपीलार्थी अनुपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल द्वारा उनके पत्र क्रमांक भू0अ0/2018/5186 दिनांक 24.10.2018 से इस कार्यालय मे प्रस्तुत प्रथम अपील का जवाब प्रस्तुत किया करते हुऐ अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1–6 की सूचना, पटवारी हल्का सीसवाली से संबंधित होने से, हल्का पटवारी से अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्राप्त की जाकर, उसकी छायाप्रति कार्यालय तहसीलदार मॉगरोल के पत्र क्रमांक/भू.अ./18/4343 दिनांक 27.8.2018 के साथ संलग्न की जाकर, अपीलार्थी को नियत समायवधि से पूर्व भिजवा दी गई है। जो बिन्दुवार 1 ता 6 निम्नानुसार है :–

1– मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम सीसवाली मे खसरा नम्बर 3354 रकबा 0.18 है0 सिवायचक भूमि दर्ज है। न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारॉ कि अपील संख्या 61/2016 निर्णय दिनांक 9.3.2017 की पालना मे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.5.2016 को अपास्त किया जाकर, अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला पाबन्द किया गया कि विवादित सम्पत्ति को अन्य को संक्रामित स्थानान्तरित नही करे और किसी तृतीय पक्षकार के अधिकार का सर्जन विवादित सम्पत्ति मे न करने का आदेश प्राप्त हुआ है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थी का हित न्यायालय द्वारा ही निर्धारित किया जा सकेगा। उक्त प्रकरण न्यायालय मे जैरकार होने के कारण स्वामित्व व धारा–91 की कार्यवाही न्यायालय द्वारा ही निहित की जावेगी।
2– बिन्दु संख्या 2 का जवाब बिन्दु संख्या 1 मे निहित है।
3– उक्त आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड सिवायचक दर्ज है। अतः उक्त आराजी को बेचा जाना प्रमाणित नही है। मॉगी गई सूचना काल्पनिक प्रतीत होती है।
4– बिन्दु संख्या 4 का जवाब, बिन्दु संख्या 3 व 1 मे निहित है।
5– उप तहसील सीसवाली वर्ष 2014 मे विधिवत चालू हुई।
6– उप तहसील सीसवाली मे लोक सूचना अधिकारी का पद रिक्त है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा उस पर प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। जिससे जाहिर आया कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 13.8.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत कर, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार मॉगरोल से बिन्दु संख्या 1 ता 6 की सूचना चाही गई थी। जो लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार मॉगरोल द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/भू.अ./2018/4343 दि. 27.8.2018 के साथ संलग्न कर, अपीलार्थी को नियत समयावधि एक माह से पूर्व भिजवा दी गई है।

अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के तहत प्रस्तुत की गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कार्यालय मे उपलब्ध सूचना की छायाप्रति दिये जाने का प्रावधान है। सूचना तैयार की जाकर दिये जाने ओर प्रश्नवाचक दिये जाने का प्रावधान नही है। अपीलार्थी इस कार्यालय मे अनुपस्थित रहा है, अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील मेमो पर भी हस्ताक्षर नही किये गये है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुर्दशन सिंह तोमर)
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं
अति0 जिला कलक्टर, बारां